

प्रेषक,

आयुक्त
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद ।

सेवा मे.

सचिव,
फैन्ड्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

संख्या 172 / 27- ५८ (2008-09) नो०५०

दिएय :- भगवन्त पब्लिक स्कूल घोडपुर, जनपद विजनीर को सी०८००४८०५० नई विल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

दिनांक : अक्टूबर 30 2009

महोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका व्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०८००४८०५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पर्याप्त सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के स्थावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०५०० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता संट्रैल बोर्ड आफ सेकेण्ट्री एज्युकेशन नई विल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिका परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने ली तिथि से उ०५०० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार दे प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षण्टर तर्फ कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय सुच्छल गार्ड्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवा निरूपित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्भत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा ।
- 9- मुख्य अभियान अधिकारी, मुरादाबाद परिषेन्ट्र द्वारा निर्गत ०३ वर्ष हेतु अस्थाई रूप से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अवधि समाप्त होने पर पुनर स्थाई प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।
- 10- उक्त शर्तों मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह घाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मध्यीय

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त ।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित -

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
- 2- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3- निरीक्षक, आगरा नारसीय विद्यालय उ०५०, लखनऊ ।
- 4- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।
- 5- जिलाधिकारी विजनीर ।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, विजनीर ।
- 7- प्रबंधक, भगवन्त पब्लिक स्कूल घोडपुर, जनपद विजनीर ।

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त ।